कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782–222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782–222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 2338 जगदलपुर, दिनांक 06/09/17

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

भू – प्रबंध

छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :– Diversion of forest land for non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Laying optical fibre cable from Jagdalpur to Bhanpuri in Bastar District Chhattisgarh, area - 0.669 ha. regarding

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक /भू – प्रबंध/विविध/एल.एम.–115–638/2160 दिनांक 31.08.2016 एवं पत्र क्रमांक /भू–प्रबंध/विविध/115–638/1839 दिनांक 03.06.2017 एवं पत्र क्रमांक 1052A दिनांक 20.04.2017 ।

2. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./2899 दिनांक 05.09.2017 ।

––::000::––

विषयान्तर्गत् प्रतिवेदन है कि बस्तर वनमण्डल अन्तर्गत् जगदलपुर से भानपुरी तक दूरी लम्बाई 39.48 कि.मी. चौड़ाई, 0.50 मीटर एवं गहराई 1.65 मीटर रकबा 0.699 हे. वनभूमि /राजस्व वनभूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने हेतु Reliance Jio Infocomm Limited छत्तीसगढ़ रायपुर को गैर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटित है। आवेदनकर्ता General Manager, Reliance Jio Infocomm Limited छत्तीसगढ रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर द्वारा आवेदक संस्थान से प्राप्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में वन विभाग से संबंधित जानकारी शामिल कर संदर्भित पत्र द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर द्वारा प्रस्ताव के संबंध में यह उल्लेख किया है कि बस्तर परिक्षेत्र के अन्तर्गत् कक्ष क्रमांक 1428पी में दिनांक 30.03.2017 को रात्रि में अवैध रूप से लम्बाई 380.00 मीटर, चौड़ाई 0.80 मीटर एवं गहराई 1.50 मीटर रकबा 0.030 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल

Scanned by CamScanner

[redacted]

कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क्रमांक 4326/20 दिनांक 30.03.2017 पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा पुनः कक्ष क्रमांक 1428पी में दिनांक 08.04.2017 को अवैध रूप से लम्बाई 230.00 मीटर चौड़ाई 0.80 मीटर एवं गहराई 1.40 मीटर रकबा 0.018 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुये कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क्रमांक 4326/21 दिनांक 08.04.2017 पंजीबद्ध किया गया है। पी.ओर.आर क्रमांक 4326/20 की मुआवजा महसूल की राशि रूपये 31,608/– एवं पी.ओ.आर. क्रमांक 4326/21 की मुआवजा महसूल की राशि रूपये 46,013/– मनी रसीद क्रमशः 14197 /40 एवं क्रमांक 14197/41 दिनांक 22.06.2017 द्वारा कुल राशि रूपये 77,621/– आवेदक संस्थान से जमा कराकर राजीनामा किया गया है। स्थल में कोई वृक्ष नहीं काटे गये है, वर्तमान में कोई कार्य नही हो रहा है। उक्त कार्यवाही से संबंधित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। वन क्षेत्र में अवैध रूप से खुदाई कर कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक /भू – प्रबंध/ विविध/115–638/1052A दिनांक 20.04.2017 से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण में उल्लघंन हेतु 0.048 हे. के दुगुने क्षेत्र 0.096 हे. नारंगी क्षेत्र बोड़ाडोगरी (बोड़नपाल) में दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है तथा दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 57,621/– निर्धारित नार्म्स के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
तीन प्रतियों में मूलतः

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

पृ.क्रं./व.त.अ./ 2339 जगदलपुर, दिनांक 06/09/17

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. मेसर्स General Manager, Reliance Jio Information Limited 4th flor office No. 401-405 Ambuja Mal, Raipur Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

Scanned by CamScanner

110

57

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रतयावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग –3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

1. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधात वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे।

   – NA –

2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

   yes.

3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिषें।

   Recommended for sanction 0.669 ha of forest area for cable wire laying.

हस्ताक्षर 6/9

नाम व्ही. श्रीनिवास-राव
मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

दिनांक :– 06.09.2017

स्थान :– जगदलपुर

Scanned by CamScanner